संख्याः /XVII-B-1/2025–01(01)/2025 ई–85656

प्रेषक,

डा0 पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः सितम्बर, 2025

विषय– वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुपूरक बजट में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों के अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद–'29–गाडियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद' में प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–466/नि.अ.क./अनुपूरक/ई–12760/2025–26, दिनांक 03 सितम्बर, 2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुपूरक बजट में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों के अधिष्ठान के मानक मद–'29–गाडियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद' में प्रावधानित धनराशि **₹ 2.00 (₹ दो लाख मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
3. उक्त धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिस व्यय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
4. मितव्ययता के विषय में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि की फंड पार्किंग किसी भी दशा में न की जाये तथा स्वीकृत धनराशि समयान्तर्गत पूर्ण रूप से व्यय कर ली जायेगी।
7. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों सहित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–06–जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान' के मानक मद '29–गाडियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद' के नामे डाले जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(I)/2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोक्त (अलॉटमेंट आई0डी0)।

भवदीय,

Digitally signed by Parag Madhukar Dhakate
Date: 01-Apr-2025 11:09:33

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव।

संख्या : ( )/XVII-B-1/2025–01(01)/2025 ई–85656 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।